58

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **के0सी0 जैन**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–5024–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–7–2015 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील सेमरिया जिला रीवा प्रकरण क्रमांक–19/अ–12/2011–12.

.....

कलुआ तनय रामगरीब चमार
निवासी ग्राम कोलौरा थाना व
तहसील सेमरिया जिला रीवा

–––––आवेदक

विरूद्ध

शारदा प्रसाद तनय सुखलाल साकेत
निवासी ग्राम कोलौरा थाना व
तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

–––––अनावेदक

.....

श्री रामानुज सोंधिया, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21-7-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसील सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 19/अ–12/2011–12 पारित आदेश दिनांक 27–7–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक अपने स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा न0 11/2 रकवा 2.32 एकड़ स्थित मौजा कोलौरा तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 के सीमांकन बावत आवेदन पत्र दिनांक 2.5.12 को तहसीलदार सेमरिया के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल सेमरिया से सीमांकन प्रतिवेदन आहुत किया गया था हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा सूचना पत्र जारी कर दिनांक 7.6.12 को स्थल पर उपस्थित होकर गणमान्य लोगों की उपस्थिति में विधिवत सीमांकन कार्यवाही करके पंचनामा एवं फिल्ड बुक तैयार कर प्रतिवेदन तहसीलदार तहसील सेमरिया को प्रस्तुत किया था उस पर अनावेदक सहित कई अन्य व्यक्तियों के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। आपत्ति पर तत्कालीन तहसीलदार द्वारा सुनवाई करते हुये दिनांक 14.9.12 को सीमांकन प्रतिवेदन स्थगित कर पुनः सीमांकन कर प्रतिवेदन देने का आदेश दिया गया था। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आराजी खसरा न0 11 रकवा 4.64 एकड था जिसमें आवेदक व अनावेदकके पिता जो सगेंभई थे के बीच आपसी बटवारा करके मूल खसरा न0 11 का 2 बराबरहिस्सा में बटवारा किया था 11 नम्बर की भूमि का उत्तरी सीमा अनावेक के पिता सुखलाल साकेत को जिसका नम्बर 11/रु1 एवं दक्षिणी सीमा में आवेदक को प्राप्त हुआ जिसका नम्बर 11/2 निर्धारित किया गया था बटवारा व हिस्सा में प्राप्त भूमियों पर आवेदक एव अनावेक के पिता काबिज दखिल हुये है । उसी बटवारा एवं कब्जा दखल के अनुसार पूर्व में नक्शा में भी 11/1 एवं 11/2 का नक्शा तरमीम हो चुका था उसी नक्शा तरमीम के आधार पर ही आवेदक के आवेदन पत्र पर हल्का पटवारी व राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 7.6.12 को सीमांकन किया गया था इस तरीके से नक्शा तरमीम का कोई विवाद नहीं था फिर नये सिरे से नक्शा तरमीम की कार्यवाही किया जाना विधि के विपरीत है इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

4– आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किये गये हैं । प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया।

5– मैने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया जिसमें राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतितवेदन पेश किया । राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में लेख किया गया कि आवेदक द्वारा नक्शा तरमीम का आवेदन नहीं दिया गया। जिस कारण से सीमांकन किया जाना संभव नहीं है नक्शा तरीमी कार्यवाही पूर्ण होने पर नियमानुसार सीमांकन किया जायेगा। पूर्व में उक्त आराजी का सीमांकन किया गया था जिसमें आपत्ति होने से तत्कालीन तहसीलदार द्वारा निरस्त किया जा चुका हैं । उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया है कि नक्शा की तरमीम न होने के कारण सीमांकन की पुष्टि नहीं की जा सकती । आदेशानुसार उनके द्वारा नक्शा की तरमीम का आवेदन भी पेश नहीं किया था। नक्शा तरमीम के पश्चात ही सीमांकन हो सकेगा । अतः प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । दिनांक 27.7.15 का आदेश स्थिर रखा जाता है।

वे0 सी0 जैन
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर